संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)
Phone (0522)-2668700, 2668800, 2668900 Fax-(0522)- 2668017, 2668129

पत्र संख्या : पी.जी.आई./अधि./आर.एस.डी. संख्या 2331/एफ,भाग-2/ 612 /2024 दिनांकः 03-8-.2024

कार्यालय आदेश

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश, सरकार के शासनादेश सं. 11/2024/सा-3-227/10-19099/4/2024 दिनांक 12 जून, 2024 के द्वारा दिनांक 30 जून / 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले उ.प्र. राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की तिथि (30 जून/31 दिसम्बर) के ठीक अगले दिन अर्थात 01 जुलाई/01 जनवरी को वेतनवृद्धि नियत होने पर ऐसे कार्मिकों द्वारा आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुये, पेंशन एवं उपदान का आगणन किये जाने हेतु दिनांक 01.01.2016 के उपरांत, परंतु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व संबंधित वर्ष की 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे, परंतु उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने तथा एरियर का भुगतान नही किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

उक्त शासनादेश दिनांक 12 जून, 2024 के आलोक में संस्थान के वे कार्मिक जो दिनांक 01.01.2006 के उपरांत परंतु शासनादेश निर्गत होने के पूर्व संबंधित वर्ष की 30 जून को सेवानिवृत्त हो चुके थे, उन्हें यह लाभ तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगा तथा उन्हें एरियर का भुगतान नही किया जायेगा। यही व्यवस्था दिनांक 01.01.2016 के उपरांत परंतु शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त उन कार्मिकों पर भी लागू होगी जो संबंधित वर्ष की 30 जून / 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुये तथा जिन्हें यथास्थिति 01 जुलाई / 01 जनवरी को वेतनवृद्धि देय थी, को शासनादेश के प्राविधानानुसार आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुये तदनुसार पेंशन एवं उपदान का आगणन किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

यह आदेश शासनादेश निर्गत होने की तिथि 12 जून, 2024 से प्रभावी माना जायेगा।

(प्रो. राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक

प्रतिलिपि -

1. अपर निदेशक, एस.जी.पी.जी.आई.।
2. कार्यपालक कुलसचिव, एस.जी.पी.जी.आई.।
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / चिकित्सा अधीक्षक, एस.जी.पी.जी.आई.।
4. वित्त अधिकारी, एस.जी.पी.जी.आई.।
5. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), एस.जी.पी.जी.आई.।
6. विभागाध्यक्ष, बी.एच.आई. को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त कार्मिकों को सूचना पट्ट के माध्यम से सूचनार्थ।

(प्रो. राधा कृष्ण धीमन)
निदेशक